51/013 राँची, १ सितम्बर, २०१३

सेवा में,
माननीय मुख्य मंत्री,
झारखंड सरकार

विषय :- भ्रष्टाचार के मामले में १५ दिनों में कार्रवाई करने के आपके वक्तव्य के संबंध में।

संदर्भ :- सिकिदिरी जल विद्युत परियोजना के मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य (२०१२) में भ्रष्टाचार।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में राँची से प्रकाशित समाचार पत्रों के ३१ अगस्त २०१३ के संस्करण में आपका वक्तव्य पढ़ा। प्रसन्नता हुई। शुभकामना कि आपका वक्तव्य साकार हो। स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि उपर्युक्त संदर्भ में मैंने दिनांक ९ अगस्त २०१३ को एक पत्र माननीय राज्यपाल जी को भेजा है। इसकी एक प्रति आपके प्रधान सचिव के मार्फ़त आपको भी भेजा है। आपने इसका संज्ञान अवश्य लिया होगा।

इस संदर्भ में सीईए का २१ पृष्ठों का जाँच प्रतिवेदन और जाँच प्रतिवेदन का विश्लेषण (व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित) संलग्न कर रहा हूँ। इन्हें मैं अपने वेबसाईट www.saryuroy.in पर भी डाल रहा हूँ ताकि जो चाहे देख सके और आरोपों की सत्यता के बारे में निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच सके।

मामले की जाँच केन्द्रीय विद्युत प्राधिकार (सीईए) ने झारखंड के माननीय राज्यपाल के तत्कालीन सलाहकार श्री मधुकर गुप्ता के अनुरोध पर भारत सरकार के ऊर्जा विभाग के निदेशानुसार किया है। जाँच में मेरे आरोप सही साबित हुये हैं। ये आरोप मैंने ९ मई २०१२ को सप्रमाण पत्र लिखकर राज्य सरकार को भेजा था और मई २०१२ से दिसंबर २०१२ के बीच आधा दर्जन बार राज्य सरकार को इस बारे में स्मारित किया था। मेरे सभी पत्र सीईए ने जाँच प्रतिवेदन के साथ संलग्न किया है। सीईए के जाँच प्रतिवेदन पर ९ मई २०१३ की तिथि अंकित है। तदनुसार राज्य सरकार को यह जाँच प्रतिवेदन मिले पौने चार महीना हो रहा है। पर जांच के निष्कर्षों के आधार पर अबतक कोई कारवाई नहीं हुई है।

२ करोड़ रु में होनेवाला काम २४ करोड़ रु मे कराने का आदेश देकर और बिना किसी बैंक गारंटी के ४ करोड़ रु का अग्रिम भुगतान कर सरकारी खजाना पर चपत लगाने के इस भ्रष्ट आचरण के लिये झारखंड बिजली बोर्ड के साथ ही भारत सरकार का उपक्रम "भेल" भी बराबर का दोषी है। एक साज़िश के तहत भारत सरकार का लोकउपक्रम होने के नाचे राज्य सरकार से नामांकन पर काम ले लेना का सिलसिला झारखंड मे लम्बे अरसे से चला आ रहा है। सीवीसी के दिशा निर्देशों का उल्लंघन और जनता के पैसों की बन्दरबाँट का यह खेल झारखंड के सत्ता प्रतिष्ठान में विशेष प्रिय हो चुका है। इस माध्यम से न्यायालय की आँख में धूल झोंकने का काम हो रहा है।

भेल और झारखंड बिजली बोर्ड की मिलीभगत ने झारखंड में क्या क्या गुल खिलाया है इस बारे में अलग से आरोप पत्र तैयार करने की ज़रुरत महसूस हो रही है।

सीईए ने विषय वस्तु के तकनीकी दायरे में सीमित जांचकर अपना मंतव्य दिया है। पक्की सूचना के अनुसार सीबीआई ने भी इस मामले में झारखंड बिजली बोर्ड और भेल के कार्यालयों से दस्तावेज़ एकत्र किया है। सीईए के जाँच प्रतिवेदन में भी एक जगह सीबीआई जाँच में सहयोग देने का उल्लेख है। बेहतर होगा यदि आप यह मामला सीबीआई को सौंप दें। यह जानकारी भी ली जा सकती है कि बिजली बोर्ड के अपने निगरानी कोषांग की नजर इस ओर गई है या नहीं।राज्य सरकार के निगरानी ब्युरो तथा तकनीकी परीक्षण कोषांग के संयुक्त प्रयास से भी मामले की जाँच संभव है।

इस परिप्रेक्ष्य में भ्रष्टाचार के मामले में १५ दिनों के भीतर कार्रवाई करने संबंधी आपका वक्तव्य महत्वपूर्ण एवं सराहनीय हो सकता है यदि सही नीयत से इसका क्रियान्वयन किया जाय। आपके इस वक्तव्य के आलोक में यह पत्र आपको लिख रहा हूँ। उम्मीद है कि १५ दिनों के भीतर इस बारे में दोषियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे । कृपा होगी यदि आप इस पत्र की पावती सूचना देने तथा कृत कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने की कृपा करेंगे अथवा इस आशय का निर्देश अपने सचिवालय को देने का कष्ट करेंगे।

सधन्यवाद,

भवदीय

सरयू राय

प्रति :- माननीय राज्यपाल, झारखंड को उनके प्रधान सचिव के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।